प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2023

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम उल्ला पुत्र श्री नबी उल्ला, निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14659/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम उल्ला पुत्र श्री नबी उल्ला, मोहम्मदपुर गौंती, थाना-सुल्तानपुर घोष, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 19.12.2005 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल एवं कुल्हाड़ी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-131/2006, में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 व 3(2)(5)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनु0जा0/जनजाति (अ0नि0), फतेहपुर के आदेश दिनांक 29.06.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 15 वर्ष, 11 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 06 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा ट्रिपल मर्डर का अपराध कारित किया गया है जो अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य मे अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 19.12.2005 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल एवं कुल्हाड़ी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमीम उल्ला पुत्र श्री नबी उल्ला, जनपद-फतेहपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम उल्ला (बन्दी संख्या-109/15) पुत्र श्री नबी उल्ला, जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म/ए-लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-154/2023/1484(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-154/2023/1484/22-2-2022-17(1292)/2022

दिनांक 20 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम उल्ला पुत्र श्री नबी उल्ला, मोहम्मदपुर गौंती, थाना-सुल्तानपुर घोष, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 19.12.2005 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल एवं कुल्हाड़ी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-131/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनु0जा0/जनजाति (अ0नि0), फतेहपुर के आदेश दिनांक 29.06.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 15 वर्ष, 11 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 06 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा ट्रिपल मर्डर का अपराध कारित किया गया है जो अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य मे अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 19.12.2005 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल एवं कुल्हाड़ी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमीम उल्ला पुत्र श्री नबी उल्ला, जनपद-फतेहपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।